बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

पटना, 15 दिनांक

संख्या प्र02 वि01 53/2013 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल जिला उपभोक्ता फोरमों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवाशर्ते को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। – (1)यह नियमावली बिहार उपभोक्ता फोरम लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2014 कही जा सकेगी।

   (2) (i) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (ii) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ। – इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है जिला उपभोक्ता फोरमों के लिपिकीय (बेंच लिपिक सहित) संवर्ग।

   (ii) 'आयोग' से अभिप्रत है, बिहार कर्मचारी चयन आयेाग।

   (iii) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव/सचिव।

   (iv) नियत तिथि' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के आरंभ की तिथि।

   (v) परिविक्षाधीन से अभिप्रेत है, निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिविक्षाधीन रूप से नियुक्त व्यक्ति।

   (vi) सदस्य' से अभिप्रेत है, फोरम में पूर्व से नियुक्त कर्मचारी तथा इसमें इस नियमावली के आरंभ के पश्चात नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल होगें।

(vii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की, प्रासंगिक प्रपत्रों, अनुदेशों के अनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. संवर्ग की संरचना। – लिपिकीय संवर्ग (बेंच लिपिक सहित) की संरचना निम्न प्रकार होगी।

क्र0 सं0	कोटि का नाम	स्तर	वेतनमान
1	2	3	4
1	निम्नवर्गीय लिपक	मूल कोटि	वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर पदों की संख्या एवं जो वेतनमान निर्धारित होगा, वही देय होगा।
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	

टिप्पणी – निम्नवर्गीय लिपिक (बेंच लिपिक सहित), उच्चवर्गीय लिपिक तथा प्रधान लिपिक का वर्तमान पद सोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

4. संवर्ग बल। – संवर्ग बल ऐसा होगा, जो वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

5. भर्ती। – (1) निम्नवर्गीय लिपिक (बेंच लिपिक सहित) का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद इन्टरमिडीएट योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' के कर्मचारियों में से भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(2) सभी भर्ती आयोग के अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक (बेंच लिपिक सहित) की कोटि में की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेघा क्रम में

अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के पश्चात नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिविक्षा के आधार पर दो वर्षो के लिये करेगा।

6. अर्हता। – (1) न्यूनतम शैक्षणित अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमिडिएट (10+2) उर्तीण अथवा समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

7. आरक्षण। – भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती। (1) नियुक्ति प्राधिकार इन्टरमिडीएट (10+2) उर्तीण समूह 'घ' के कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयता एवं आरक्षण रोस्टर के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. परिवीक्षा। – निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में कोई भी नियुक्ति चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो, या अनुकम्पा के अधार पर, प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि प्रथम दो वर्षो के लिए होगी जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

10. विभागीय परीक्षा। – (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होगें और प्रत्येक पत्र में उतीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र –1 सेवानियमावली – बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र – 2 वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एवं प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली आदि।

11. सम्पुष्टि। – कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उर्त्तीणता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. वरीयता। – संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता आयेाग द्वारा अवधारित उनकी मेघा स्थिति के अनुसार होगी। किन्तु इस नियमावली के आरंभ के पूर्व नियुक्त कर्मचारी आपसी वरीयता में वरीय होगें।

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होगें, जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हों।

13. प्रोन्नति। – (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि के पूरा होने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर की जायेगी :–

(क) प्रधान सचिव/सचिव	– अध्यक्ष
(ख) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	– सदस्य सचिव
(ग) अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	– सदस्य
(घ) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति का एक पदाधिकारी	– सदस्य

14. संवर्ग का स्तर। – यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

15. अवशिष्ट मामले। – ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नही है, संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होगें।

16. कठिनाई का निराकरण। – सरकार (साामन्य प्रशासन विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रहे कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक है।

17. निर्वचन। – जहॉ इस नियमावली के प्रावधानों में किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहॉ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इसका निर्णय अंतिम होगा।

18. निरसन एवं व्यावृति। – (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 53/2013 2995 खाद्य/पटना/दिनांक 26/05/2014

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सचिव, बिहार विधानसभा/विधानपरिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/निबंधक, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, पटना/मा0 मंत्री के आप्त सचिव/विभागाधीन सभी पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

Govt. of Bihar

Food and Consumer Protection Deptt.

Notification.

No. S2 B1 – 53/2013 / In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of the clerical cadre of District Forum :-

1. Short title, extent and commencement. (1) These Rules may be called as the Bihar District Forum Clerical Cadre (recruitment and condition of service) Rules 2014.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force a once.

2. Definitions. - In these Rules, unless otherwise requires in the context. -

(i) '**Cadre**' means the Clerical Cadres of the District Forum (including Bench clerk).

(ii) '**Commission**' means the Bihar Staff Selection Commission.

(iii) '**Appointing Authority**' means the Principal Secretary, Food and Consumer Protection Deptt.

(iv) '**Appoint day**' means the date of commencement of these Rules.

(v) '**Probationer**' means the person appointed as probationer in the category of Lower Division Clerk.

(vi) **'Member'** means employees already appointed in the Forum and it shall include all the persons appointed in the cadre after the commencement of these Rules.

(vii) **'Appointment on compassionate ground'** means appointment of any one of the dependents of the Government Servent died in service period on the basis of compassionate ground as per relevant circulars/instructions.

3. Cadre Structure. - The cadre structure of the clerical (including Bench Clerk) shall be as follows :-

S.N	Name of Category	Level
1	Lower Division Clerk	Basic Category.
2	Upper Division Clerk	First Promotion.
3	Head Clerk	Second Promotion level.

Note :- The existing hierarchical structure of L.D.C (including Bench Clerk), U.D.C and Head Clerk shall continue till further order.

4. **Cadre-strength.** - The cadre-strength shall be such as may be determined by the Finance Department, from time to time.

5. **Recruitment.** - (1) 85% of posts of L.D.C (including Bench Clerk) shall be filled up by direct recruitment and 15 % posts shall be filled up from amongst the eligible group "D" employees having Intermediate qualification 10% out of 85% posts for

direct recruitment shall be reserved for the appointment on compassionate ground.

(2) All recruitments shall be made in the Category of Lower Division Clerk (including Bench Clerk) on the recommendation of the Commission.

(3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April.

(4) The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of Competitive Examination, shall recommend the names of the candidates in order of merit to the Appointing Authority concerned. The validity of the merit list shall be for one year from the date of receipt of the recommendation.

(5) The Appointing Authority after due scrutiny shall appoint the candidate on probation for two years.

6. **Qualification : -** (1) The minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) or equivalent with knowledge of computer operation and computer typing.

(2) Minimum age of recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as determined by the State Governement./General Administration Department), from time to time.

7. **Reservation :-** Compliance of reservation/roster in the recruitment and promotion notified by the State Government, from time to time, shall be necessary.

8. **Recruitment by promotion :-** (1) The appointing authority shall prepare the seniority list of intermediate (10+2) passed of group "D" staff.

   (2) The promotion will be given according to seniority and reservation roster on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

9. Each recruitment in the Category of L.D.C either by direct or on compassionate ground shall be on probation for two years and it may be extended by the Appointing Authority.

10. **Departmental Examination. -** (1) Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

    (2) There shall be two papers in the Departmental Examination and it shall be necessary to obtain 40% marks for passing the examination in each paper.

    Paper -1 – Bihar Service Code, Pension Rules, laws of seniority and promotion Noting and Drafting.

    Paper – 2 – Financial Rules , Treasury Code, Financial Rules, Practice and procedures, Board Miscellaneous Rules, G.PF Rules, T.A Rules, Insurance Rules etc.

11. **Confirmation : -** A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the Departmental Examination.

12. **Seniority.** - Inter-se-seniority of the members of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se-seniority determined before the commencement of these Rules shall remain unchanged :-

Provided that the person appointed on the basis of Compassionate Ground shall be Junior to such persons who have been appointed on the basis of Competitive Examination of concerned recruitment year.

13. **Promotion.** - (1) Promotion from basic category to higher category may be given on completion of KALAWADHI determined by the General Administration Department, from time to time, and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted consisting of the following :-

(A) Principal Secretary/Secretary - Chairman.

(B) Director, Consumer Protection - Member Secretary.

(C) Additional Secretary/Joint Secretary/Dy. Secretary – Member.

(D) An officer of SC/ST determined by the chairman – Member.

14. **Level of cadre.** - This Cadre shall be at State Level.

15. **Residuary matters.** - With regard to matters not specifically covered by these Rules, the Members of the Cadres shall be governed by the Rules, Regulation or orders applicable to the officers/employees of the State Govt. at appropriate level.

16. **Removal of difficulties.** - The Govt./General Administration Department may, from time to time, issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules.

17. **Interpretation.** - Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be determined by the General Administration Department and its decisions shall be final.

18. **Repeal and savings.** - All resolutions and instructions issued earlier with respect to this Cadre are hereby repealed.

19. Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under such resolution, instructions shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By the order of the Governor of Bihar,

(Shishir Sinha)
Principal Secretary.

Memo no. sec 2 B1 53/2013 2995 food/Patna/Dated - 26/05/2014

Copy forwarded to – The Superintendent, Government Press, Gulazarbagh, Patna for publication in Extra ordinary issue of Bihar Gazette and send its 1000 (One thousand) printed copies in this Department.

Copy forwared to – Accountant General, Bihar, Patna/ General Registrar, Patna High Court/ All Divisional Commissioners, Bihar/ Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/ Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission/ Registrar, State Commission, Consumer Protection, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Minister/ All officers in Department/ All District Magistrate/ All Chairman, District Consumer Fora for information and necessary action.

Principal Secretary.